हाईवे पर रील | लग्जरी कारें खड़ी कर सड़क जाम लगाने वाले आरोपित रसूखदारों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

हाई कोर्ट की फटकार के बाद सात युवक गिरफ्तार, कारें जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः नेशनल हाईवे पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी करके शार्ट वीडियो (रील) बनाने और सड़क जाम करने के मामले में हाई कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। सोमवार देर रात को ही पुलिस ने कांग्रेस नेता विनय शर्मा के बेटे वेदांश सहित सात रसूखदार युवकों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनकी सात लग्जरी कारें भी जब्त कर लीं।

हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रही विधायक नेम प्लेट वाली कार और कुछ अन्य गाड़ियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला बिलासपुर के पेंड्रीडीह से रतनपुर जाने वाली बाइपास रोड का है। यहां वेदांश शर्मा नाम के युवक ने हाल ही में दो महंगी कारें खरीदीं। इसका जश्न मनाने वह अपने साथियों के साथ हाईवे पर उतर आया। काले रंग की लग्जरी गाड़ियों के काफिले को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। इससे ट्रैफिक थम गया और राहगीर परेशान होने लगे। पुलिस ने आरोपितों से सिर्फ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना वसूलकर मामले को दबा दिया था।

हाईवे पर रील बनाने वालों की गाड़ियों को पुलिस ने किया जब्त। ● नईदुनिया

कोर्ट ने कानून-व्यवस्था के लिए बताया खतराः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह केवल शरारत नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए सीधा खतरा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई यह दिखाती है कि कानून सभी के लिए समान नहीं रह गया है।

इन पर की गई कार्रवाई जमानत पर छोड़ा

हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बिलासपुर पुलिस रातोंरात हरकत में आ गई। युवक वेदांश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, यशवंत सिंह, दुर्गेश ठाकुर, विपिन वर्मा, अभिनव पांडेय और आकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, मामला जमानती होने के कारण उन्हें थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव का बेटा है मुख्य आरोपित वेदांश

मुख्य आरोपित वेदांश के पिता विनय शर्मा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में बेलतरा के भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला के काफी करीबी माने जाते हैं। पुलिस ने न तो आरोपितों की तस्वीरें सार्वजनिक कीं, न ही उनके नाम प्रेस विज्ञप्ति में हैं। सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह घटना में शामिल सभी आरोपितों की तलाश की बात कह रहे हैं।